U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email : upstatesugarcorporation@gmail.com

Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2024-25/1339 **Dated :** 09.01.2024

e-Tender Notice

Online e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors/Importers/Authorized dealers (as per details given in tender documents) for supply of Stainless Steel Tubes, Boiler Tubes, Packing & Jointing, Roller shaft, Roller Re-shelling, Welding Electrodes, Bearings, V-belts, Switchgears, Nickel Screen, Cast Steel Items, Pumps & Spares, PVC Cables, Motors, Chain & Chain Spares & Domite Tips to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd.. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal **http://etender.up.nic.in** & Sugar Corporation's website: **www.upsugcorp.in** from time to time, starting from **11.01.2024.**

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **रौनक जॉली और सिंपल जॉली** को **12.06.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLBRL00424314** की राशि **रू.60,24,860.77/- (रुपए साठ लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ और सितहत्तर पैसे मात्र)** और **05.06.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **06.01.2024** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.60,24,860.77/- (रुपए साठ लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ और सितहत्तर पैसे मात्र) 05.06.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान/प्लॉट नं. 107- एच, मापित 110.38 स्के.मी., खसरा नं.139 मिन, भ्रमपुरा पुर्वी मारूफ रेसिडेंसी गार्डन में स्थित, बरेली -243001, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक:06.01.2024 सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : बरेली **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नोएडा
''सार्वजनिक सूचना''

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ऐस इन्फ्रासिटी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0–01 ए/बी (अल्फा) सेक्टर–107, नोएडा में कुल 4 टावर्स जिसमें से एक टावर ए के भूतल पर कामर्शियल एवं कम्यूनिटि सेन्टर के निर्माण मानचित्र प्राधिकरण से दिनांक 26.12.2018 को स्वीकृत कराये गये थे, जिनमें से आवंटी संस्था द्वारा तीन टावर एवं कम्यूनिटि सेन्टर का अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2023 तक प्राप्त किया जा चुका है, वर्तमान में आवंटी संस्था द्वारा एक टावर–ए एवं कामर्शियल का आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.12.2023 को आवेदन किया गया है, जो कि प्राधिकरण की बैब साईट www.noidaauthorityonline.in पर देखा जा सकता है।

आवंटी संस्था द्वारा जमा कराये गये अधिभोग मानचित्रों के सम्बन्ध में परियोजना के निवासियों/फ्लैट क्रेताओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। यदि किसी व्यक्ति/फ्लैट क्रेता को प्राधिकरण में जमा कराये गये उक्त अधिभोग मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप में महाप्रबन्धक (नियोजन) मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नोएडा के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है अथवा ई–मेल captpnoida@gmail.com के माध्यम से प्रेषित कर सकते है। निर्धारित समयवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **कुनसंग तेनसिंग तमांग और तेनज़िन सांगमो** को **16.10.2023** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLLAJ00501980** की राशि **रू.2,57,84,569.05 /- (रुपए दो करोड़ सत्तावन लाख चौरासी हजार पाँच सौ उनसठ और पाँच पैसे मात्र)** और **13.10.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **05.01.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.2,57,84,569.05 /- (रुपए दो करोड़ सत्तावन लाख चौरासी हजार पाँच सौ उनसठ और पाँच पैसे मात्र) 13.10.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपुर्ण दुसरी मंजिल (पहली मंजिल), टेरेस राइट्स के बिना, (यानि उपर दिए गए स्टिल्ट फ्लोर और पहली मंजिल(ऊपरी तल मंजिल), 1/4 मालिकी के अधिकार के साथ, स्टिल्ट पार्किंग में, उक्त फ्री होल्ड बिल्ट अप संपत्ति प्लॉट नं. 83 का भाग, जमीन मापित 202.500 स्के.मी., मोडल टाउन में स्थित, नई दिल्ली-110009, जमीन के नीचे फ्री होल्ड समानुपातिक अधिकारो के साथ।

दिनांक:05.01.2024 सही/-
स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकारी-I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017
(तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित की गई है)

मांग सूचना

ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 एवं आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अधीन सूचना

आरसी/22/2020 **बैंक ऑफ इंडिया** **05-09-2023**

बनाम

मैसर्स शुभकामना मोटर्स

प्रति

(सीडी 1) मैसर्स शुभकामना मोटर्स, प्लॉट नं. 14, न्यू एमसी ऑटो मार्केट, लोहारू रोड, भिवानी, हरियाणा

(सीडी 2) श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, मकान नं. 689/2, वार्ड नं. 8, शांति नगर, भिवानी, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा **ओए/917/2018** में पारित आदेशों के अनुपालन के तहत जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार आपके खिलाफ (संयुक्त तथा पृथक/सम्पूर्ण/सीमित रूप में) **रु. 11,04,916 (रुपये ग्यारह लाख चार हजार नौ सौ सोलह मात्र)** के साथ दिनांक **30.04.2018** से रकम की वसूली तक सालाना **12.85% की दर से** वादाकालीन तथा सामान्य ब्याज तथा लागत **रु. 14,000/- (रुपये चौदह हजार मात्र)** बकाया हो चुका है।

2. एतद्द्वारा आपको इस सूचना की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर ऊपर उल्लिखित रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन गठित नियमों के अनुसार रकम की वसूली की जाएगी।

3. एतद्द्वारा आपको सुनवाई की अगली तारीख को अथवा उससे पहले एक हलफनामा के माध्यम से अपनी सम्पत्तियों के ब्यौरा घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. एतद्द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अधोहस्ताक्षरी के समक्ष **दिनांक 22.03.2024** को **सुबह 10.30 बजे** उपस्थित रहने का आदेश दिया जाता है।

5. ऊपर उल्लिखित रकम के अलावा, आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार होंगे:

(क) प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रक्रिया की इस सूचना के तुरंत बाद आरम्भ अवधि के लिए भुगतेय संबंधित ब्याज।

(ख) बकाया रकम की वसूली के लिए जारी इस सूचना सेवा तथा वारंट तथा अन्य प्रक्रिया तथा अन्य सभी प्रक्रियाओं के संबंध में व्यय किए गए सभी लागत, शुल्कों तथा खर्च।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर के अंतर्गत दिनांक **05-09-2023** को जारी।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

सर्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय आर्शीवाद भवन, मोहल्ला मज़ार गली, शेखपुरा, पी.ओ.–बी.वी. कॉलेज, पी. एस.–शास्त्री नगर, पटना–800014. में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है– पार्टी के पदाधिरियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:–

अध्यक्ष	:	उपेन्द्र कुशवाहा
महासचिव	:	माधवानन्द शर्मा
कोषाध्यक्ष	:	रोशन राजा

यदि किसी को राष्ट्रीय लोक मोचा (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

सर्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल नेशनल जन दल (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय **H. No. 1/19, Hausilnagar, M.H. Quddoosi, P.S. Kotvali Nagar, Teh-Faizabad, Dist-Faizabad, U.P-224001.** में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है– पार्टी के पदाधिरियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:–

अध्यक्ष	:	इशरत मसरूर कुदुसी
महासचिव	:	यज्ञदेव शर्मा
कोषाध्यक्ष	:	सुबोध कुमार

यदि किसी को नेशनल जन दल (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

सर्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय संस्थाग्रीक पार्टी (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय म.न:.213 जी, राघव नगर, तारामंडल रोड, नियर वरदायीनी होस्पीटल, गोरखपुर–273016 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है– पार्टी के पदाधिरियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:–

अध्यक्ष	:	मनोज कुमार सिंह
महासचिव	:	रजनीश
कोषाध्यक्ष	:	अनिल कुमार

यदि किसी को राष्ट्रीय संस्थाग्रीक पार्टी (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के मीतर भेजें।

नैनीताल बैंक — ई-नीलामी सूचना

शाखा - बीएच-8 ब्लॉक, भगवती सदन, शालीमार बाग पुलिस स्टेशन के पास, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088 फोन : 011-27495914/27493733

सरफाऐसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नैनीताल बैंक का प्राधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों **मैसर्स फ्यूचरमेट इण्टरप्राईजेज** एवं जमानतियों **1. श्रीमती फरहाना सामी पत्नी मौहम्मद सामी, 2. श्रीमती उरूज अजीज पत्नी मौहम्मद अजीज** , से मांग नोटिस दिनांक 01.04.2019 में उल्लिखित राशि रु. 1,85,97,698.00 **(रुपये एक करोड़ पिचासी लाख सतानवे हजार छह सौ अट्ठानवे सिर्फ)** (दिनांक 01.04.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे) का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए 01.04.2019 को एक माँग सूचना जारी की थी। जबकि कर्जदार कथित माँग सूचना में माँगी गयी राशि का बैंक के पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, अत: बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री के अधिकार सहित यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 07.06.2019 को कब्जा कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति(यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित नीचे तालिका में वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वही है" तथा "उपचार रहित" आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट ***https://sarfaesi.auctiontiger.net*** के माध्यम से सार्वजनिक –नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो	कब्जे की स्थिति	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय / ई-नीलामी की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की न्यूनतम राशि
1– मैसर्स फ्यूचरमेट इण्टरप्राईजेज (ऋणी), पंजीकृत पता : बी–12, सेक्टर 5–6, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उ0प्र0–201102 2– मौहम्मद सामी पुत्र मौहम्मद रफी (ऋणी), निवासी : 1544, गली कोटाना, सुईवाला, दरियागंज, दिल्ली–110002. 3– मौहम्मद अजीज पुत्र मौहम्मद रफी (ऋणी), निवासी : 1544, गली कोटाना, सुईवाला, दरियागंज, दिल्ली–110002 4–श्रीमती फरहाना सामी पत्नी मौहम्मद सामी (जमानती), निवासी : 1544, गली कोटाना, सुईवाला, दरियागंज, दिल्ली–110002 5– श्रीमती उरूज अजीज पत्नी मौहम्मद अजीज (जमानती), निवासी : 1544, गली कोटाना, सुईवाला, दरियागंज, दिल्ली–110002	1. बंधक अचल सम्पत्ति जो कि फ्लैट नं. 104, प्रथम तल, टावर–सी, स्काई व्यू अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 2, वसुन्धरा नगर, फेज–1, भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 1638 वर्ग फीट। सम्पत्ति उप निबन्धक, भिवाड़ी (राजस्थान) के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 465, पेज नं. 105, क्रमांक 2015002650, अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 1607, पेज नं. 33 से 42 दिनांक 18.08.2015 को श्रीमती उरूज अजीज पुत्री शकील अहमद और फरहाना सामी पत्नी मौहम्मद सामी के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं : पूरब में आंतरिक सड़क, पश्चिम में फ्लैट नं. सी–103, उत्तर में आंतरिक सड़क, दक्षिण में कॉमन लॉबी। 2. बंधक अचल सम्पत्ति जो कि फ्लैट/पेंट हाउस नं. 803, आठवां तल, टावर–सी, स्काई व्यू अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 2, वसुन्धरा नगर, फेज–1, भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 3080 वर्ग फीट। सम्पत्ति उप निबन्धक, भिवाड़ी (राजस्थान) के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 465, पेज नं. 104, क्रमांक 2015002649, अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 1607, पेज नं. 23 से 32 दिनांक 18.08.2015 को फरहाना सामी पत्नी मोहम्मद सामी और श्रीमती उरूज अजीज पुत्री शकील अहमद के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं : पूरब में सी–804, पश्चिम में पार्क, उत्तर में आंतरिक सड़क, दक्षिण में कॉमन लॉबी।	01.04.2019 07.06.2019 ₹ 1,85,97,698.00 (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख सतानवे हजार छह सौ अठानवे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे	भौतिक	खाता संख्या : 039420920000025 आईएफएससी कोड : NTBL0DEL039 अथवा दि नैनीताल बैंक लि0 के नाम से एंव दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की शालीमार बाग शाखा में जमा किया जाये	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 30.01.2024 सायं 04:00 बजे तक ई-नीलामी : 31.01.2024 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	29.01.2024 प्रात: 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक	सम्पत्ति संख्या-01 ₹ 34.00 लाख रुपये चौंतीस लाख केवल / ₹ 3.40 लाख रुपये तीन लाख चालिस हजार केवल / ₹ 50,000/- रुपये पचास हजार केवल सम्पत्ति संख्या-02 ₹ 19.50 लाख रुपये उनीस लाख पचास हजार केवल / ₹ 1.95 लाख रुपये एक लाख पिचानवे हजार केवल / ₹ 50,000/- रुपये पचास हजार केवल

ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तों सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट ***https://sarfaesi.auctiontiger.net*** तथा ***www.nainitalbank.co.in*** (बैंक की साइट) देखने का निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तें, ई–नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री राम प्रसाद, सम्पर्क नम्बर 8000023297 तथा ई–मेल : *ramprasad@auctiontiger.net* पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 30 दिवसीय बिक्री सूचना है।

स्थान : शालीमार बाग, दिल्ली दिनांक : 10.01.2024 **प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड**

वसूली अधिकारी–I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली–110001

शुद्धिपत्र

संदर्भ : बिक्री उद्घोषणा सूचना के संबंध में प्रकाशन दिनांक 04/01/2024
आरसी नंबर 339/2014 मैसर्स पेगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बनाम हॉलेक्स एप्लाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित उधारकर्ता मैसर्स हॉलेक्स एप्लाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री उद्घोषणा सूचना के लिए सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में। यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रकाशन में उल्लेखित संपत्ति का विवरण कॉलम में उल्लेखित आरक्षित मूल्य को ''पैंतालीस लाख'' के **बजाय ''पैंतीस लाख''** के रूप में पढ़ा जाएगा, जबकि उक्त सूचना में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता./– (उत्तम नेगी) वसूली अधिकारी–I
डीआरटी–II, दिल्ली

फॉर्म नंबर सीएए. 2

[धारा 230(3) और नियम (6) और (7) के अनुसार]
नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)/88/एनडी/2021
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत)
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और अन्य लागू प्रावधान के मामले में
और
वर्थ ह्वाइल पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरक कंपनी नं. 1 तथा सिद्धांत सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरक कंपनी नं. 2 और कैपिटल क्राफ्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अन्तरिती कंपनी एवं उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार के बीच समामेलन की योजना के मामले में
शेयरधारकों की बैठक की सूचना की सूचना और विज्ञापन

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोर्ट IV, नई दिल्ली पीठ ('अधिकरण') के दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के एक आदेश ('उक्त आदेश') द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से एक वर्चुअल बैठक का निर्देश दिया गया है। कंपनियां सामान्य परिपत्र संख्या 09/203 दिनांक 25.09.2023 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 जून, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत निर्मित नियमों के अधीन कंपनियों द्वारा सामान्य और विशेष प्रस्तावों को पारित करने को स्पष्ट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से शेयरधारकों की बैठक आयोजित कर सकती हैं। यदि बैठकें ई-वोटिंग के साथ सक्षम ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित की जाती हैं, तो वर्थ ह्वाइल पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'अन्तरक कंपनी नंबर 1' या 'आवेदक कंपनी नंबर 1' के रूप में संदर्भित) और सिद्धांत सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'अन्तरक कंपनी नंबर 2' या 'आवेदक कंपनी नंबर 2' के रूप में संदर्भित) के साथ कैपिटल क्राफ्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('अन्तरिती कंपनी' या 'आवेदक कंपनी नंबर 3') के समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन करने के उद्देश्य से आवेदक कंपनी, कैपिटल क्राफ्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारकों की होने वाली बैठक के बारे में इस ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है, आगे नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से एक वर्चुअल बैठक 20 फरवरी, 2024 को 3.00 बजे अपराह्न आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के सदस्यों से बैठक में वर्चुअली भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

चूंकि उपरोक्त बैठकें वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अतः बैठकों का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1), 232(2) और 102 के तहत प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण सहित संलग्न दस्तावेजों के साथ ठहराव की उक्त योजना की प्रतियां, उपरोक्त बैठकों के संबंध में नोटिस और योजना कैपिटल क्राफ्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बी-6/5, लोकल शॉपिंग सेंटर, सफदरजंग एन्क्लेव, एचडीएफसी बैंक के पास, नई दिल्ली-110029 या मेसर्स एजीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के अधिकृत प्रतिनिधि के कार्यालय 21/16, दूसरी मंजिल, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी दिन (रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, कंपनी के शेयरधारक ईमेल **aggandassociates@gmail.com** द्वारा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में मांग के एक दिन के भीतर संबंधित दस्तावेज ईमेल पर साझा किए जा सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों की बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार व्यक्ति वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई गई वर्चुअल बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से शनिवार, 17 फरवरी, 2024 को 9: 00 पूर्वाह्न से सोमवार, 19 फरवरी, 2024 को शाम 5:00 बजे तक मतदान कर सकता है।

कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') (**www.evoting.nsdl.com**) की सेवाएं ली हैं। वर्चुअल बैठकों की विस्तृत प्रक्रिया शेयरधारकों को भेजे गए संबंधित नोटिस में बताई गई है। कंपनी के शेयरधारक अपने मतों का प्रयोग केवल एक ही तरीके से करने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी (क) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या (ख) शेयरधारकों की वर्चुअल बैठकों में ई-वोटिंग द्वारा, जैसा भी मामला हो। रिमोट ई-वोटिंग करने की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

मतदान प्रारंभ: 17 फरवरी, 2024, सुबह 9:00 बजे से,
मतदान की समाप्ति: 19 फरवरी, 2024, शाम 5:00 बजे तक।

इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरध